न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

मानव तस्करी

एक संगठित अपराध

एक संगठित अपराध

मानव तस्करी (HUMAN TRAFFICKING)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के तहत भारत में मानव तस्करीया मानव व्यापारप्रतिबंधित हैस

मानव व्यापार की परिभाषा (आईपीसी 370 के अनुसार) :

शोषण के प्रयोजन से धमकाकर, बल प्रयोग अथवा अन्य तरीकों से यातना के द्वारा अपहरण, धोखेबाजी, अधिकारों का दुरुपयोग कर अथवा किसी की लाचारी की स्थिति का लाभ उठाकर उस व्यक्ति की भर्ती, निर्वासन, हस्तांतरण अथवा किसी व्यक्ति को प्राप्त कर उसके एवज में भुगतान अथवा अन्य लाभ ले देकर शोषण हेतु किसी अन्य के नियंत्रण में सौंपना है।

उक्त परिभाषा के अनुसार मानव व्यापार तीन तत्वों में विभाजित है :

कार्य (क्या किया)	**साधन** (कैसे किया)	**उद्देश्य** (क्यों किया)
• भर्ती • स्थानांतरण • दूसरों को सौंपना • व्यक्ति को ग्रहण करना	• धमकी अथवा बल प्रयोग • अपहरण • धोखाधड़ी • छल कपट • शक्ति का दुरुपयोग अथवा • विवश करना	शोषण जिस में सम्मिलित है : • यौन व्यापार • यौन शोषण • बेगारी • गुलामी अथवा गुलामी की भांति कार्य लेना • अंग निकालना इत्यादि

मानव व्यापार के प्रकार :

मोटे तौर पर वैश्विक स्तर पर मुख्यतः निम्न प्रकार के मानव व्यापार के रूप पाए जाते हैं :

1. **यौन व्यापार / व्यवसायिक यौन शोषण :** जब किसी व्यस्क को डराकर छल कपट अथवा धोखाधड़ी से व्यवसाय क्यों निकाले जैसे वेश्यावृत्ति में जबरदस्ती धकेला गया हो।
2. **बाल यौनाचारव्यवसायिक यौन शोषण :** जब कोई नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) व्यावसायिक एवं कार्य के लिए विवश किए जाते हैं।
3. **बंधुआ मजदूरी और जबरन**

मजदूरी : जब मजदूर अथवा शोषित मजदूरी पीड़ित को मनोरंजन उद्योग, घरेलू कार्य, कालीन उद्योग, आभूषण उद्योग, ऊंट सवारी /दौर, ईट भट्ठा उद्योग, कृषि आदि कार्यों में में जबरन लगाया जाता है।

बंधुआ मजदूरी ऋणग्रस्तता का नतीजा है जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का शोषण होता है इसकी शुरुआत ऋण लेते समय इनके बदले ऋणी द्वारा ऋण दाता को अपनी सेवाएं देने की सहमति के साथ होती है । भारत में कई बार ऊंची ब्याज दर पर थोड़ा सा ऋण लेने के बदले पीढ़ियों द्वारा बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य किया जाता रहा है।

4. **भिक्षावृत्ति :** मानव व्यापार गिरोहों द्वारा महिलाओं और नाबालिगों को अपहृत कर विभिन्न स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लगा दिया जाता है। अपंग नाबालिगों को अधिक भीख मिलने के कारण गिरोह द्वारा नाबालिगों के अंग भंग कर दिए जाते हैं ताकि उनकी भीख एकत्र करने की क्षमता बढ़ जाए।

5. **अंग प्रत्यारोपण :** तस्कर प्रायः अपने फायदे के लिए अंगों के व्यापार हेतु व्यक्तियों का उपयोग करते हैं । कुछ मामलों में पीड़ित की जानकारी के बिना अंग निकाल दिए जाते हैं जबकि कुछ मामलों में अधिक आवश्यकता ओं की पूर्ति हेतु अंग निकालने हेतु राजी होते हैं।

6. **जबरन विवाह :** इस प्रोटोकॉल की परिभाषा के अनुसार मानव तस्करी है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप शोषण के उद्देश्य से एक

व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण होता है, जिसमें यौन शोषण, जबरन श्रम या सेवाएं, दासता, या गुलामी या दासता के समान व्यवहार शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, जबरन विवाह की परिभाषा और भी व्यापक है जहाँ बच्चे शामिल हैं। शोषण के लिए बच्चे को अपने पास रखना मानव तस्करी–अवधि माना जाता है। इस संदर्भ में एक बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है।

मानव व्यापार के कारक :

व्यापार कई कारणों से होती है जो प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होते हैं तथापि दो कारण विभिन्न क्षेत्रों, स्वरूपों और प्रकरणों में आमतौर पर पाए जाते हैं।

दबाव वाले कारक जो पीड़ित को आधुनिक गुलामी की ओर प्रवृत्त करते हैं संभावित पीड़ित को गुलामी की स्थिति में धकेलने अथवा बेहतर जीवन की तलाश में अन्य क्षेत्र राज्य अथवा देश के लिए पलायन के कारण है :

- गरीबी और अशिक्षा
- उत्पीड़न
- सामाजिक आर्थिक अवसरों का अभाव
- संघर्ष एवं स्थिरता का खतरा

- धार्मिक या जातीय उत्पीड़न अथवा भेदभाव
- प्राकृतिक आपदाएं
- माँग और आपूर्त्ति का सिद्धांत
- सामाजिक असमानता
- क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन

क्यों होती है मानव तस्करी :

- बन्धुआ मजदूरी
- देह व्यापार
- बेहतर जीवन की लालसा
- सामाजिक सुरक्षा की चिंता
- महानगरों में घरेलू कामों के लिये भी होती है लड़कियों की तस्करी।
- चाईल्ड पोर्नोग्राफी के लिये भी होती है तस्करी।

उक्त कारण संभावित पीड़ितों को गुलामी की स्थिति में धकेलने अथवा जोखिम भरी स्थिति में पलायन करने अथवा तस्करों के हाथों पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं और स्थिर परिस्थितियों के कारण आबादी का विस्थापन होने से भी इनके शोषण एवं दुरुपयोग की संवेदनशीलता बढ़ती है। ऐसी स्थिति में खासतौर पर बेसहारा और नाबालिगों को निशाना बनाया जाता है।

प्रायः बिचौलिए ऐसे प्रवासियों एवं संभावित नियोक्ता के मध्य सेतु का काम करते हैं। अज्ञानता के कारण रोजगार पाने हेतु मजदूरों की बिचोली है

अथवा दलालों पर निर्भरता बढ़ जाती है। जिससे मानव व्यापार की ओर अकेले जाने की संभावना रहती है ऐसे नियोक्ता द्वारा झूठे वाद अथवा सीधे अवैध व्यापार की ओर धकेल ए जाने की संभावना बढ़ जाती है।

आधुनिक गुलामी से निपटने की रणनीतितथा 4Ps

मानव व्यापार के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पलेरमोप्रोटोकॉल में चौमुखी प्रक्रिया निर्धारित की गई है

- रोकथाम (Prevention)
- सुरक्षा (Protection)
- अभियोजन (Prosecution)
- साझेदारी (Participation)

4Ps मानव व्यापार को रोकने का एक रणनीतिक खाका है। इस चतुर्मुखी रणनीति का प्रत्येक उपाय मांग और पूर्ति के प्रकरणों का समाधान प्रस्तुत करता है :

• रोकथाम (Prevention)

- मानव व्यापार की रोकथाम हेतु कानून अपनाना या सुधार करना।
- राष्ट्रीय बाल संरक्षण व्यवस्था विकसित करना और रोकथाम उपायों को विकसित करने में नाबालिगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मानव व्यापार से संबंधित नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना

पलायन, अपराधों की रोकथाम,

- शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गैर भेदभाव, आर्थिक विकास, मानव अधिकार संरक्षण, बाल संरक्षण, लिंग समानता उनमें से है
- मानव व्यापार से संबंधित कमजोरियों के मूल कारणों के निवारण के उपाय खोजना अथवा सुदृढ़ता प्रदान करना।
- रोकथाम के कार्यक्रमों एवं रणनीतियों का आवश्यकता आधारित प्रभावी मूल्यांकन करना।

सुरक्षा (Protection)

- पीड़ितों की पहचान प्रक्रिया स्थापित करना अथवा उसमें सुधार करना।
- पीड़ितों के सुरक्षा एवं सहायता हेतु वैधानिक उपाय अपनाना अथवा उनमें सुधार करना।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन पीड़ितों की सुरक्षा एवं सहायता के उपाय विकसित करना।
- यदि व्यापार पीड़ित की इच्छा हो तो उसकी वापस हेतु उपयुक्त जोखिम का आकलन कर उपाय अपनाना।

अभियोजन (Prosecution)

- पलेरमोप्रोटोकॉल से जोड़ते हुए विस्तृत राष्ट्रीय खाका बनाना, सुदृढ़ करना एवं उसे लागू करना जिसमें निम्न बिंदु सम्मिलित हो।
- मानव व्यापार को अपराधिक कृत्य के रूप में लिया जाए।
- मानव व्यापार से संबंधित अन्य अपराध हो जैसे कि भ्रष्टाचार, धन का अवैध अंतरण, न्याय में बाधा डालना तथा संगठित आपराधिक गिरोह के साथ भागीदारी को अपराध घोषित करना।
- व्यापार का माल जप्त करते हुए उसकी गंभीरता के अनुसार उपायुक्त जुर्माना एवं प्रतिबंध लगाना।
- अभियोजन के दौरान एवं उसके पश्चात पीड़ितों एवं गवाह के सुरक्षा के अधिकार सहित पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करना एवं न्याय प्रवर्तन, समाज कल्याण तथा सिविल सोसाइटी के मध्य में प्रभावी तालमेल विकसित करना।
- पीड़ितों के गवाही पर निर्भरता के बगैर स्वतः सक्रियता आधारित जांच तकनीक विकसित करना और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान

पीड़ित व्यक्तियों खासकर नाबालिगों को दोबारा शिकार बनने से बचने के लिए न्यायिक प्रावधानों की क्रियान्वयन करना।

- मानव व्यापार विरोधी राष्ट्रीय विधान को लागू करना।
- विशिष्ट संस्थाओं तथा विशिष्ट पुलिस इकाइयां, न्यायिक ढांचे स्थापित करना।

साझेदारी (Participation)

ओ राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग

- तस्करी पर साक्ष्य–आधारित नीतियां विकसित और कार्यान्वित करें। व्यक्ति, जो अन्य नीतियों के साथ सुसंगत हैं।
- बहु–विषयक सहयोग और समन्वय की एक प्रणाली स्थापित करें। विभिन्न हितधारकों के बीच, जैसे सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संगठन, पीड़ित सेवा प्रदाता, स्वास्थ्य संस्थान, बाल संरक्षण संस्थान, ट्रेड यूनियन, श्रमिक और नियोक्ता संगठन, और निजी क्षेत्र।
- राष्ट्रीय रणनीतियों और/या कार्य योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करें। प्रगति और प्रभाव का आकलन करें।

ओ अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कानूनी आधार बनाएं सहयोग समझौते।

- प्रत्यर्पण,
  पार

स्परिक कानूनी में राष्ट्रीय क्षमता का विकास या सुदृढ़ीकरण सहायता, सजायाफ्ता व्यक्तियों का स्थानांतरण, संयुक्त जांच, और तस्करी से प्राप्त आय को जब्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

- पहचान, वापसी, के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को विकसित या मजबूत करना, विशेष के साथ, तस्करी के पीड़ितों का जोखिम मूल्यांकन और पुनर्एकीकरण, बच्चे के सर्वोत्तम हित पर विचार करें और सहयोग स्थापित करें। गंतव्य, पारगमन और मूल के देशों के बीच।
- संचार प्रक्रियाएं, सूचना और डेटा विनिमय स्थापित करें।
- नीति अनुशंसाओं एवं तकनीकी सहायता में सामंजस्य स्थापित करना
- अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किया गया।
- श्रम का लागत प्रभावी विभाजन सुनिश्चित करें।
- अंतरराष्ट्रीय और के बीच सहयोग और संयुक्त प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देना
- सामान्य विकास और कार्यान्वयन में क्षेत्रीय संगठन रणनीतियाँ और कार्यक्रम।

4P रणनीति अब व्यक्तिगत तस्करी के प्रति विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतिक्रिया है।

पीड़ितको मुआवजा :

पीड़ित के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुआवजा बहुत महत्वपूर्ण है। पीड़ितों के सरकारी मुआवजे के लिए ऑनलाइन पोर्टल नेशनल लीगलसर्विसेज अथॉरिटी (NLSA) पर आवेदन किया जा सकता है।

एफ आई आर (FIR) दर्ज करना अनिवार्य

एफ आई आर दर्ज करना अनिवार्य कर्तव्य एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी को संघीय मामलों में धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करना बाध्य है FIR में जानकारी देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर FIR में होना चाहिए।

जीरो एफ आई आर ('0' FIR) :

जीरो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दायर किया जा सकता है यहां तक कि अगर कोई किसी पुलिस स्टेशन में चला जाता है जिसका मामले पर क्षेत्राधिकार नहीं है उसे शिकायत को लिख लेना चाहिए और एक 0 नंबर देना है और उसके बाद संबंधित पुलिस थाने को हस्तांतरित कर देना है एफ आई आर दर्ज करने के लिए नियमित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और यह कि उचित पुलिस स्टेशन को हस्तांतरण करने की पुलिस की जिम्मेदारी है । एक '0'FIR अपराध को दर्ज करने के विलंब को रोकने के लिए उपयोगी है अन्यथा पीड़ित को बुरा असर पड़ता है और अपराधियों को

कानून के चंगुल से बचने के लिए एक अवसर मिल जा सकता है या तब भी जरूरी हो सकता है जब पीड़ितों शिकायतकर्ता संबंधित पुलिस स्टेशन जाने के लिए उपयुक्त स्वस्थ मानसिक या शारीरिक स्थिति में नहीं है।

नोट :

यदि पुलिस मामले की एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है तो तो हमें अनुमंडल व जिला स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द जानकारी देनी चाहिए।

भारत में मानव तस्करी की स्थिति

डेटा विश्लेषण :

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्डब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में देश में कुल 6,616, वर्ष 2018 में 5,788 और वर्ष 2017 में 5,900 मामले दर्ज किये गए।
- दुनिया भर में मानव तस्करी के शिकार लोगों में लगभग एक–तिहाई बच्चे हैं, भारत में बच्चों के लिये यह स्थिति अधिक चिंताजनक है।
- NCRB 2018 के आँकड़ों के अनुसार,

सभी तस्करी पीड़ितों में से 51 प्रतिशत बच्चे थे, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक लड़कियाँ थीं।

- हाल ही में भारत में कोविड–19 महामारी के कारण अनाथ बच्चों को गोद लेने, रोज़गार या आजीविका और आश्रय की आड़ में तस्करी के बढ़ते जोखिम के मामले प्रकाश में आये हैं।

भारत में मानव तस्करी को प्रतिबंधित करने वाले कानून :

- भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 (1) मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है।
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA) व्यावसायिक यौन शोषण के लिये तस्करी को दंडित करता है।
- भारत बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, बाल श्रम (निषेध और उन्मूलन) अधिनियम 1986 और किशोर न्याय अधिनियम के माध्यम से बंधुआ तथा जबरन श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (A) और 372, क्रमशः नाबालिगों के अपहरण तथा वेश्यावृत्ति पर रोक लगाती है।
- इसके अलावा कारखाना अधिनियम, 1948 ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी।

आगे की राह

प्रवर्तन एजेंसियों के लिये दोहरेपन या भ्रम से बचने हेतु विधेयक को किशोर न्याय अधिनियम और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के मौजूदा प्रावधानों के साथ बेहतर ढंग से लागू किया जाना चाहिये।

चूँकि अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन स्पष्ट और सुसंगत नियमों पर निर्भर है, इसलिये केंद्र सरकार के लिये राज्यों द्वारा उपयोग हेतु मॉडल नियम तैयार करना उपयोगी होगा।

इंटरनेट की भूमिका (मानव तस्करी में) :

प्रौद्योगिकी ने बेशक मानव जीवन को सरल–सुलभ बनाया है, लेकिन यह आज मानव तस्करी का सबसे बड़ा जरिया भी बन गयी है। सोशल नेटवर्किंग साइटों के साथ अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिये विदेशों में रोजगार दिलाने का झाँसा देकर तो कभी प्रेम से परवान चढ़े प्रेमी/प्रेमिका को शादी का झाँसा देकर।

कोलकाता स्थित अमेरिका वाणिज्य दूतावास तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिये काम करने वाले गैर–सरकारी संगठन 'शक्तिवाहिनी' की एक रिर्पोट के अनुसार पूरे देश में

हो रही मानव तस्करी में इंटरनेट एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। देश के विभिन्न भागों में संगठित गिरोहों द्वारा इंटरनेट के जरिये घोखाधड़ी कर मानव तस्करी की जा रही है।

मानव तस्करी रोकने के लिये किये गये विभिन्न उपाय :

आपराधिक कानून (संशो.) अधिनियम 2013:– इसके तहत कानूनी उपायों को और मजबूती प्रदान की गयी है और यह संशोधित कानून 3 फरवरी, 2013 से प्रभाव में आ चुका है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 370 :– इस नये अधिनियम में भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370। और 370 के स्थान पर रखा गया है। यह धारा व्यापक तौर पर मानव तस्करी को रोकते हुए मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी के अलावा किसी भी तरह के यौन शोषण, दासता और मानव अंगों को जबरदस्ती निकाले जाने के मामले में कठोर दंड देने का प्रावधान प्रदान करती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करीबेगार (बलात् श्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता हैजिससे देश के लाखों अल्प–सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर–नागरिक दोनों के लिये उपलब्ध है।

पुरुषमहिला और बच्चों की खरीद–बिक्री।

आधुनिक गुलामी से संबंधित अपराध एवं दंड का सारांश

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
भिक्षावृत्ति हेतु अपहरण अथवा अपंग करना	भारतीय दंड संहिता धारा 363 A	आजीवन कारावास और जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
अल्प वयस्क बालिकाओं को पकड़ना	भारतीय दंड संहिता धारा 366 A	10 वर्ष की कैद और जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
21 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विदेशों से आयात करना	भारतीय दंड संहिता धारा 366 B	10 वर्ष की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य गैर जमानती
मानव व्यापार	भारतीय दंड संहिता धारा 370 (2)	7 से 10 वर्ष की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्थल पर संज्ञान योग्य गैर जमानती
एक से अधिक व्यक्तियों का व्यापार	भारतीय दंड संहिता धारा 370 (3)	10 वर्ष से आजीवन कारावास तक एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग गैर जमानती

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
अल्प वयस्क का व्यापार	भारतीय दंड संहिता धारा 370 (4)	10 वर्ष से आजीवन कारावास तक एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग गैर जमानती
एक से अधिक अल्प वयस्कों का व्यापार	भारतीय दंड संहिता 370 (5)	14 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य गैर जमानती
एक से अधिक बार अल्प वयस्कों का व्यापार	भारतीय दंड संहिता धारा 370 (6)	आजीवन कारावास अर्थात संबंधित दोषी के शेष जीवन पर्यंत कैद	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य गैर जमानती
जब कोई जनसेवा के पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के यौन व्यापार में संलिप्त हो	भारतीय दंड संहिता धारा 370 (7)	आजीवन कारावास अर्थात संबंधित दोषी के अवशेष जीवन पर्यंत कैद	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य गैर जमानती

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
अपहृत अल्प वयस्क का यौन शोषण	भारतीय दंड संहिता 370 A (1)	5 से 7 वर्ष की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य गैर जमानती
अपहृत (गैरअल्प वयस्क) का यौन शोषण	भारतीय दंड संहिता 370 A (2)	3से 5वर्ष की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य गैर जमानती
गुलामी व्यवसाय में अभ्यस्त	भारतीय दंड संहिता धारा 371	आजीवन अथवा 10 वर्ष से अधिक अवधि की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य गैर जमानतीअसमाधेय
किसी अल्प वयस्क को वेश्यावृत्ति हेतुबेचना	भारतीय दंड संहिता धारा 372	10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य गैर जमानतीअसमाधेय
किसी अल्प वयस्क को वेश्यावृत्ति हेतु खरीदना	भारतीय दंड संहिता धारा 373	10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य गैर जमानतीअसमाधेय
गैरकानूनी जबरन मजदूरी	भारतीय दंड संहिता धारा 374	1 वर्ष तक की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य गैर जमानतीअसमाधेय

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
बलात्कार	भारतीय दंड संहिता धारा 375 एवं 376	7 वर्ष आजीवन कारावास एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य, गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
उन्मादपूर्ण बलात्कार	भारतीय दंड संहिता धारा 375	न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य, गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
परिसर को वेश्यालय चलाने के उपयोग की अनुमति देना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट1965 धारा 3	2 से 3 वर्ष की कैद एवं जुर्माना दुबारा पकड़े जाने पर 3 से 7 वर्ष की कैद एवं ₹200000 तक जुर्माना	संज्ञान योग्य गैर जमानती (धारा 3 (2) को छोड़कर) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा
वेश्यावृत्ति से प्राप्त आय से गुजारा करना	अनैतिक यौन व्यापार निरोध एक्ट1965 धारा 4	2 वर्ष तक की कैद एवं ₹1000 जुर्माना	संज्ञान योग्य गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
अल्प वयस्क से वेश्यावृत्ति द्वारा प्राप्त आय से गुजारा करना	अनैतिक यौन व्यापार निरोध एक्ट1965 धारा 4	7 से 10 वर्ष तक की कैद	संज्ञान योग्य गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
वेश्यावृत्ति में लाना वेश्यावृत्ति हेतु उकसाना	व्यापार निरोधक एक्ट1965 धारा 5	कैद एवं जुर्माना	जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा नहीं होगी
किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत वेश्यावृत्ति में लाना है इस हेतु उकसाना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट1965 धारा 5	14 वर्ष तक की कैद	संज्ञान योग गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी अल्प वयस्क को पकड़कर वेश्यावृत्ति में लगाना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट1965 धारा 5	7 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक	संज्ञान योग्य गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी व्यक्ति का यौन व्यापार (भर्ती, बदली, रोकना या प्राप्त करना)	अनैतिक एवं व्यापार निरोधक एक्ट1965 धारा 5 B	न्यूनतम 7 वर्ष की कैद एवं दोबारा अपराध करने पर उम्रकैद	संज्ञान योग्य गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
यौन शोषण के प्रयोजन से वेश्यालय में लाया गया यौन व्यापार पीड़ित व्यक्ति	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट1965धारा 5 C	3 माह तक की कैद या20000 तक का जुर्माना या दोनों दोबारा पकड़े जाने पर 6 माह तक कैद या₹50000 तक जुर्माना	संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी व्यक्ति की उसकी इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध ऐसे स्थान पर अपना जहां वेश्यावृत्ति चल रही हो	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट1965 धारा6	7 से 10 वर्ष तक की कैद	संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी सार्वजनिक स्थल की परिधि में वेश्यावृत्ति	A अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा 7	अनैतिक व्यापार निरोधक एक्ट1965 धारा 7	संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
कैसे भूस्वामी अथवा किसी सार्वजनिक स्थल के रखवाले द्वारा अपने परिसर का वेश्यालय रूप में या वेश्यावृत्ति चलाने के लिए अनुमति देना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा7 (2)	3 माह तक की कैद और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने पर 6 माह तक की कैद, होटल का लाइसेंस स्थगित किया जा सकता है	संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
कब्जे में आए व्यक्ति को प्रलोभन देना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधकएक्ट1 965 धारा9	7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक या 10वर्ष कैद एवं जुर्माना	A संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
नाबालिक पर भेदन युक्त यौन हमला	यौन अपराधों से नाबालिगों की सुरक्षा एक्ट 2012, "पोक्सो" धारा 4	7 वर्ष से आजीवन कारावास तक तथा जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
नाबालिक पर उन्मादपूर्णभेदनयुक्त यौन हमला	पोक्सो धारा6	10 साल से आजीवन कारावास एवं जुर्माना	संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
नाबालिक पर यौन हमला	पोक्सो धारा 8	3 से 5 वर्ष तक कैद एवं जुर्माना	संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
नाबालिक पर उन्मादपूर्ण यौन हमला	पोक्सो धारा 10	5 से 7 वर्ष तक कैद एवं जुर्माना	संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
नाबालिग का यौन उत्पीड़न	पोक्सो धारा 12	3 वर्ष तक कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
अश्लील चित्रण हेतु नाबालिक का उपयोग	पोक्सो धारा 14	5 वर्ष कैद दोबारा पकड़े जाने की स्थिति में 7 वर्ष तक की कैद	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य / गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी हेतु मजबूर करना	बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) एक्ट धारा 16	3वर्ष तक कैद एवं जुर्माना	संज्ञान योग्य जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी रिवाज, समझौते, परंपरा आदि को थोपना जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करना पड़े	बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) एक्ट धारा 18	3 वर्ष तक कैद एवं जुर्मानाकी राशि से पीड़ित को भुगतान किया जाएगा	संज्ञान योग्य जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित कार्यों या प्रक्रियाओं में काम पर लगाना	बाल मजदूर (प्रतिबंध एवं विनिमय) एक्ट1986 धारा14	3 माह से 1 वर्ष तक की कैद और ₹10000 से ₹20000 तक जुर्माना, दोबारा अपराध पर 6 माह से 2 वर्ष तक कैद की सजा	संज्ञान योग्य जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य

अपराध	एक्ट एवं धारा	दंड	संज्ञानयोग्य / जमानतयोग्य / न्यायालय
बाल मजदूर (प्रतिबंध एवं विनिमय) एक्ट के अनुसार सूचित करने, पंजिका का रखरखाव अथवा अन्य किसी शब्द का अनुपालन करने में असफलता	बाल मजदूर (प्रतिबंध एवं विनिमय) एक्ट1986 धारा 14 (3)	3 माह से1 वर्ष तक की कैद और ₹10000 से ₹ 20000 तक जुर्माना, दोबारा अपराध पर 6 माह से2 वर्ष तक कैद की सजा	संज्ञान योग्य जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
निर्दयता / नाबालिगों को बेसहारा छोड़ना	किशोर न्याय एक्ट धारा 75	3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों	संज्ञान योग्य जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी नाबालिग को भीख मांगने पर लगाना	किशोर न्याय एक्ट धारा 76	5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना	संज्ञान योग्य जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
नाबालिक को नशीली शराब, नशीली दवाइयां या नशीले पदार्थ देना	किशोर न्याय एक्ट धारा76	7वर्ष तक की कैद और जुर्माना	संज्ञान योग्य जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य

जेजे एक्ट सेक्शन 94 के तहत उम्र कैसे तय करें

उम्र सत्यापन परीक्षा : अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्र सत्यापन परीक्षण को उचित रूप से और वैज्ञानिक रूप से आयोजित कराया जा रहा है।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 15 (5A) उम्र सत्यापन परीक्षण में निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है कि क्या बचाया गया व्यक्ति एक बालिग नाबालिग या एक नाबालिक है यदि मुक्त किए गए व्यक्ति की सत्यापित उम्र17–18 या कम है तो मजिस्ट्रेट लोक अभियोजन को यह याद दिलाना है कि मजिस्ट्रेट का मुक्त किए गए फिर तो और कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और मुक्त किए गए पीड़ित को बाल कल्याण समिति को हस्तांतरित किया जाना चाहिए जेजे अधिनियम की धारा के अनुसार व्यक्ति के आधार इस अधिनियम के तहत सबूत देने के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त अगर महसूस करें कि यह व्यक्ति नाबालिक है तो सीडब्ल्यूसी इस अवलोकन को अंकित करेगी और नाबालिग की संभावित उम्र को इंगित करते हुए बिना आगे उम्र के पुष्टि का इंतजार किए बिना धारा 36 (देखभाल और संरक्षण की जरूरत में नाबालिक पर जांच) के तहत जांच के साथ आगे बढ़ सकती है । सीडब्ल्यूसी को इसके समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति की उम्र के बारे में यदि

कोई शक है तो वह व्यक्ति की उम्र का निर्धारण करने के लिए निम्न में किसी साक्ष्य की मांग करेगा।

1. किसी स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तिथियां मैट्रिकुलेशन या संबंधित परीक्षा बोर्ड के समक्ष प्रमाण यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में
2. किसी निगम या नगर निगम के प्राधिकारी या एक पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।
3. केवल 1 और 2 के ना होने पर आयु का निर्धारण सीडब्ल्यूसी के आदेश पर आयोजित हड्डी परीक्षण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा उम्र निर्धारण परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है बशर्ते कि इसके एक आदेश पारित करने के 15 दिन के अंदर पूरा कर लिया गया हो।

JJA की धारा 94 में आगे कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी द्वारा दर्ज की गई उम्र ही नाबालिग की असली उम्र होने के लिए समझा जाएगा मजिस्ट्रेट से अनुरोध करें किस बाल कल्याण समिति को निर्दिष्ट करना है अगर गैर सरकारी संगठन पहले से जानता है कि मुक्त किए गए पीड़ित एक

नाबालिक है तो अधिवक्ता को सूचित करें ताकि वे डिमांड सुनवाई में उपस्थित रह कर पक्ष प्रस्तुत कर सके।

बाल कल्याण समिति (CWC)की भूमिका :

बाल कल्याण समिति भारत में एक स्वायत्त संस्था है जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत बनाई गई है जो उन बच्चों से संबंधित शिकायतों को संभालने और हल करने के लिए है जो या तो छोड़ दिए गए हैं, अनाथ हैं, स्वेच्छा से माता–पिता द्वारा छोड़ दिए गए हैं या खो गए हैं और जिन्हें विकास, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर देखभाल की आवश्यकता है और इसमें उनकी बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं का प्रावधान शामिल है। ऐसे बच्चों की देखभाल एक बाल कल्याण समिति द्वारा की जाती है और किशोर न्याय अधिनियम सिफारिश करता है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसी समिति होनी चाहिए।

बचाव के बाद :

बच्चों को सीडब्ल्यूसी के आदेश पर बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई)

के तहत रखा जाता है, जहां उनकी सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। बच्चों को अल्पकालिक पुनर्वास के लिए या तो सरकार और अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई में भेजा जाता है।

प्रमुख प्रावधान :

पीड़ितों और गवाहों की पहचान जाहिर करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। केन्द्र सरकार को एक विशेष जाँच एजेन्सी के गठन का सुझाव दिया गया है, जो मानव तस्करी के मामलों की नये कानून के अंतर्गत जाँच करेगी।

पीड़ितों के आघात को कम करने और अधिक से अधिक मामलों में सजा दिलाने के लिये जिला स्तर पर विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है और इनमें सरकारी वकीलों और जजों की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।

पुर्नवास :–

तस्करी के शिकार लड़कियों के लिये लम्बे समय तक के लिये सरकारी रिहाइश का प्रबंध हो, जहाँ उनके पुनर्वास पर जोर दिया जाय, उन्हें नये हुनर सिखाये जाएँ ताकि वो अपनी गुजर–बसर स्वयं कर सकें।

मानव तस्करी भारत के पड़ोसी देशों में बहुतायत से होती है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिये पड़ोसी देशों से तालमेल बढ़ाने का सुझाव है।

जिला और राज्य स्तर पर अंतर–मंत्रालयी तस्करी विरोधी समितियों के गठन का सुझाव है।

अन्य उपाय जो किये जा सकते हैं :–

- सभी प्रकार का मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने के लिये सभी संबद्ध मंत्रालयों एवं एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना।
- त्वरित जाँच और मानव तस्करों एवं संगठित अपराध का अभियोजन सुनिश्चत करना।
- मानव तस्करी की रोकथाम के लिए ऐसे कदम उठाना, जो महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को समाप्त कर एवं मानव तस्करी के पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले हों।
- विभिन्न राज्यों में मानव तस्करी प्रकोष्ठ एवं कार्यबलों की स्थापना कर मानव तस्करी को रोकने के लिए कार्य करना।
- पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारी एक साथ मिलकर कार्य करें एवं

आपस में सूचनाओं का आदान–प्रदान करें, जिसका उपयोग मानव तस्करों पर लगाम कसने के लिए किया जा सकता है।

खाड़ी देश मानव तस्करी का एक बड़ा गंतव्य :

- बांग्लादेश और नेपाल के मानव तस्करी का भारत एक बड़ा गंतव्य हैं।
- मानव तस्करी के एक गंतव्य के रूप में दक्षिण एशियाई देश मुख्य रूप से घरेलू मानव तस्करी था, पड़ोसी देशों से मानव तस्करी से प्रभावित हैं।
- UAE, सऊदी अरब जैसे देशों में मानव तस्करी के लिए भारत एक श्रोत और पारगमन देश है।
- UAE मुख्य रूप से दक्षिण, दक्षिण पूर्व एवं मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए एक गंतव्य तथा पारगमन देश है, जिन्हें जबरन श्रम एवं यौन तस्करी का सामना करना पड़ता है।
- प्रवासी श्रमिकों की

नियुक्ति मुख्य रूप से इथोपिया, इरिट्रिया, ईरान एवं पूर्वी दक्षिणी तथा दक्षिण–पूर्वी एशिया से की जाती है, जो UAE के निजी क्षेत्र श्रमबल का 95: से अधिक है।

- इनमें से कुछ श्रमिकों को बेगारी का सामना करना पड़ता है और इनमें से कुछ देशों की महिला स्वेच्छा से घरेलू कामगार, सचिवों, ब्यूटिशियन एवं होटलों में सफाई का काम करती है।
- कुछ को अवैद्य तरीके से जबरन श्रम कराने, उनके पासपोर्ट को जब्त करने, आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने, बेगारी, यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है।

भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम :

मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिये राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न निर्णयों को संप्रेषित करने और कार्रवाई पर अनुवर्त्ती कार्रवाई करने हेतु गृह मंत्रालय (MHA) में वर्ष 2006 में एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल की स्थापना की गयी।

मानव तस्करी रोधी ईकाई (AHTU) –गृह मंत्रालय ने एक व्यापक योजना 'स्ट्रेथनिंग लॉ इनफोर्समेंट रिस्पांस इन इंडिया अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स (2010) के

तहत् देश के कई जिलों में AHTU की स्थापना के लिए फंड जारी किया है।

AHTU की प्राथमिक भूमिका पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास के लिए प्रवर्त्तन और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ सम्पर्क करना है।

AHTU के जिम्मेदारियों की सूची

1. व्यवहार में ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करना मानव तस्करी के अपराधों के साथ और एक बहुविषयक दृष्टिकोण प्रदान करना और सभी हितधारकों द्वारा एक संयुक्त प्रतिक्रिया।
2. 'संगठित अपराध' परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करना तस्करी के अपराधों से निपटने में।
3. अंतर्विभागीय लाना पुलिस के बीच सहयोग और अन्य सभी सरकारी एजेंसियाँ और विभाग, जैसे महिला एवं बाल, श्रम, स्वास्थ्य, आदि
4. के साथ बचाव अभियान चलाना जब भी वे गैर–सरकारी संगठनों की सहायता लेते हैं तस्करी के बारे में जानकारी प्राप्त करें गतिविधियाँ या तो पुलिस स्रोतों से, या गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज।
5. पीड़ित–केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना जो 'सर्वोत्तम हित'

सुनिश्चित करता है पीड़ित/उत्तरजीवीश और रोकता है शद्वितीयक उत्पीड़न/पुनः– पीड़ित का 'उत्पीड़न' भी लिंग संवेदनशील और बच्चे को सुनिश्चित करना निपटने में अधिकारों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण तस्करी के शिकार।

6. जमीनी स्तर की इकाई के रूप में कार्य करना के संग्रहण एवं विकास हेतु सभी कानूनों पर एक विस्तृत डेटाबेस अपराध के प्रवर्तन पहलू, जिसमें तस्करों के बारे में जानकारी शामिल है तस्करी करने वाले गिरोह, जो वे बताएंगे जिला और राज्य अपराध रिकॉर्ड के लिए आगे के प्रसारण के लिए ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो।

7. व्यापक की उपलब्धता को सुगम बनाना इस अपराधी पर राष्ट्रीय स्तर का डेटा गतिविधि। इसलिए, एएचटीयू के लिए अधिदेश है अत्यंत विस्तृत। केंद्र सरकार निर्दिष्ट किया गया कि एएचटीयू होगा "क्षेत्र स्तरीय कार्यात्मक इकाई को संबोधित करने के लिए समग्र तरीके से मानव तस्करी"। यह कानून में मौजूदा कमियों को दूर करेगा तस्करी पर प्रवर्तन प्रतिक्रियाएँ और एक संस्थागत के रूप में

काम करेगा अपराध से निपटने के लिए तंत्र सभी हितधारकों के साथ काम करके, जिसमें पुलिस, अभियोजन, बचाव, एनजीओ आदि को बढ़ाने में मदद मिलेगी कानून प्रवर्तन के बीच सहयोग एजेंसियां, संबंधित सरकार जिन विभागों और गैर सरकारी संगठनों के पास है सहायता करने की विशेषज्ञता और क्षमता इस सहयोग को संस्थागत बनाकर तस्करी से बचे लोगों को।

द्विपक्षीय तंत्र : महिलाओं और बच्चों में मानव तस्करी की रोकथाम, बचाव, पुर्नप्राप्ति, प्रत्यावर्त्तन और तस्करी के पीड़ितों के पुनः एकीकरण के लिए भारत व बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर जून, 2015 में हस्ताक्षर किये गये थे।

गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों / UT को जारी एडवाइजरी :

- मानव तस्करी के अपराध को रोकने के लिए एडवाइजरी दिनांक 09.09. 2009.

- बच्चों के विरूद्ध अपराध पर एडवाइजरी दिनांक 14 जुलाई, 2010।
- लापता बच्चों पर 31 जनवरी, 2012 की एडवाइजरी।
- बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध को रोकने और उसका प्रतिकार करने पर एडवाइजरी दिनांक 04.01.2012।
- संगठित अपराध के रूप में मानव तस्करी पर 30 अप्रैल 2012 को एडवाइजरी।
- भारत में मानव तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने विदेशी नागरिकों से व्यवहार एडवाइजरी दिनांक 01.05.2012।

- बालश्रम के लिये बच्चों की तस्करी की रोकथाम के लिए SOP दिनांक 12.08.2013।
- मानव तस्करी विरोधी पर गृह मंत्रालय के बेव पोर्टल पर एडवाइजरी दिनांक 05.05.2014।
- अपराध बैठकों में SSB & BSF को शामिल करने के लिए एडवाइजरी दिनांक 23.07.2015।

अगर मुझे तत्काल मदद की ज़रूरत है, तो मैं कहाँ संपर्क करूँ?

1. 1098
2. स्थानीय पुलिस स्टेशन
3. 112
4. AHTU

निष्कर्ष

मानव तस्करी का मुद्दा बहुत संवेदनशील (सेंसिटिव) है। इससे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की जरूरत है। सरकार को पीड़ितों के पुनर्वास और समाज में एकीकरण (इंटीग्रेशन) का लक्ष्य रखना चाहिए।

इस समस्या से निपटने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता है। मानवों, विशेषकर बच्चों की तस्करी का एक रूप है आधुनिक गुलामी को संबोधित करने के लिए एक समग्र, बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है समस्या का जटिल आयाम. यह एक ऐसी समस्या है जो अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन करती है पीड़ितों की और इसलिए अनिवार्य रूप से बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है इसके उन्मूलन पर काम कर रहे हैं। तस्करी के ख़िलाफ़ लड़ाई में, सरकारी संगठन, गैर–सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह और अंतर्राष्ट्रीय निकायों, सभी को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और मिलकर काम करना होगा। कानून ही एकमात्र नहीं हो सकता जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का साधन।

धन्यवाद!

सवाल आपके जानकारी के लिए

- मानव तस्करी क्या है?
- मानव तस्करी प्रवासी तस्करी से किस प्रकार भिन्न है?
- मानव तस्करी के शिकार कौन हैं?
- लोगों की तस्करी क्यों की जाती है?
- यदि तस्करी का शिकार कोई व्यक्ति सहमति दे तो क्या होगा?
- तस्कर कौन हैं?
- मानव तस्करी कितनी व्यापक है?
- मानव तस्करी के सबसे आम रूप क्या हैं?
- मानव तस्करी से किस प्रकार के उद्योग प्रभावित होते हैं?
- मानव तस्करी में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों की क्या भूमिका है?
- क्या कई तस्कर पकड़े जाते हैं और उन्हें दोषी ठहराया जाता है?
- क्या मानव तस्करी से निपटने के लिए कोई कानूनी साधन है?
- मानव तस्करी में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?

न्याय विभाग, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं

Website link-
https://doj.gov.in/designing-innovative-solutions-for-holistic-access-to-justice-disha/

- **How to use Tele Law-**
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2023/07/2023070535.pdf

- **Nyaya Bandhu**
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b

2c82f69750387/uploads/2023/07/2023070542.pdf

- **PAN India Legal Literacy and Ligal Awareness Link-** https://doj.gov.in/legal-literacy-legal-awareness/

- **Webinar details-** https://doj.gov.in/webinar/

- **YouTube Videos on different issues link (Ministry of Law and Justice)-** https://youtube.com/@ministryoflawandjustice2954

बिहार लोक प्रशासन
एवं
ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना
टेली : – 91–612–2452585
फैक्स : – 91– 612–2452586
ईमेल : vidhimitra.bipard@gmail.com
वेबसाईट : www.bipard.bihar.gov.in